रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 1971/भाद्र 3, 1893

No. 152] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 1971/BHADRA 3, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 25th August 1971

G.S.R. 1220.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) —Bharat Sarkar, Vitta Mantralaya (Rajswa Aur Bima Vibhag) No. 63-Customs, dated the 1st July, 1971.

[No. 78-Cuctoms/F. No. 503/5/71-Cus-VI.]

P. K. KAPOOR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1971

सा० का० नि० 1220.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 15 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं 63-- सीमा शुल्क तारीख 1 जुलाई, 1971 को एतद्द्वारा विखण्डित करती है ।

[सं० 78-सी०शु०/फा० सं० 503/5/71-सी०शु०]

पी० के० कपूर, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971